



## बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,  
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023  
दूरभाष संख्या:-0612-2285262

सं०सं०- बि०वि०मि०-स्था०-(DRCC/विविध)-03/2018.371.....पटना, दिनांक 28.02.2019

### -: आदेश :-

बिहार विकास मिशन के RFP. Ref.No.-BVM/2015-16/HR-08, दिनांक-20.05.2016 के आलोक में श्री मो० महफूज आलम (आवेदन आई०डी०-AMS/0005469) का नियोजन औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर सहायक प्रबंधक(योजना) के पद पर करते हुए बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-345, दिनांक-20.08.2016 द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, औरंगाबाद में सहायक प्रबंधक(योजना) के पद पर पदस्थापित किया गया।

श्री आलम द्वारा पत्रांक-शून्य, दिनांक-04.07.2018 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद द्वारा मानदेय में कटौती करने संबंधी आदेश से क्षुब्ध होकर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, औरंगाबाद में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का संघ बनाकर सीधे बिहार विकास मिशन से पत्राचार किया गया। बिहार विकास मिशन के पत्रांक-883, दिनांक-13.07.2018 द्वारा श्री आलम से सीधे पत्राचार करने एवं गुटबंदी करने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पत्रांक-14, दिनांक-12.01.2019 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि श्री आलम द्वारा गलत तरीके से HR Login करने, वरीय पदाधिकारी को गलत सूचना देने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, संघ बनाकर भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कई दोष सिद्ध होता है। उक्त क्रम में बिहार विकास मिशन के पत्रांक-180, दिनांक-25.01.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिवेदन (सानुलंगनक) की प्रति श्री आलम को भेजते हुए, साक्ष्य सहित अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया।

उक्त के आलोक में श्री आलम द्वारा पत्रांक-शून्य, दिनांक-07.02.2019 के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया, परंतु प्रतिवेदित आरोपों से संबंधित बचाव साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बिहार विकास मिशन के पत्रांक-274, दिनांक-13.02.2019 द्वारा पुनः श्री आलम को प्रतिवेदित आरोपों से संबंधित बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। श्री आलम द्वारा पत्रांक-शून्य, दिनांक-16.02.2019 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के साथ भी अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पत्रांक-14, दिनांक-12.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री आलम द्वारा समर्पित उपर्युक्त स्पष्टीकरणों पर सम्यक विचारोपरांत श्री आलम द्वारा गलत तरीके से HR Login करने, वरीय पदाधिकारी को गलत सूचना देने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, संघ बनाकर भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी गंभीर सिद्ध आरोपों के आलोक में श्री मो० महफूज आलम, सहायक प्रबंधक (योजना), जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, औरंगाबाद के साथ हुए एकरारनामा की कंडिका-11 में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से एकरारनामा रद्द करते हुए सेवा-मुक्त/बर्खास्त किया जाता है।

हस्ताक्षर

27/2/2019  
(संजय कुमार)  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(DRCC/विविध)-03/2018.371!...पटना, दिनांक 28.02. 2019  
प्रतिलिपि :- श्री मो० महफूज आलम, सहायक प्रबंधक (योजना), जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र,  
औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/2019  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(DRCC/विविध)-03/2018.371!...पटना, दिनांक 28.02. 2019  
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद/ प्रबंधक, जिला निबंधन एवं  
परामर्श केन्द्र, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/2019  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(DRCC/विविध)-03/2018.371!...पटना, दिनांक 28.02. 2019  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ उप निदेशक, युवा  
उप-मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/2019  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(DRCC/विविध)-03/2018.371!...पटना, दिनांक 28.02. 2019  
प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक (विधि एवं अधिप्राप्ति)/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ श्रीमती रश्मि रंजन, मैनेजमेंट  
एसोसिएट/ आई० टी० मैनेजर, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (विधि एवं अधिप्राप्ति), बिहार विकास मिशन, उपर्युक्त रिक्त हुए पद के विरुद्ध सुयोग्य  
उम्मीदवार की अनुशंसा (आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

27/2/2019  
सदस्य सचिव